सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
(मैनुअल–2)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः 330 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 32 / 2001 दिनांक : 24 अप्रैल, 2019

कार्यालय–आदेश

प्रभारी सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 603 / 134 / रा0यो0आ0 / 2019, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के अनुक्रम में दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक विश्वकर्मा भवन के पंचम तल पर स्थित "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली" सभागार में आयोजित "ई–आंकलन" पोर्टल पर डाटा फिडिंग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु विभाग के **संयुक्त निदेशक, श्री आशिष कुमार त्रिपाठी** को नामित किया जाता है।

श्री त्रिपाठी उपरोक्तानुसार यथा समय बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

पत्रांकः 330 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 32 / 2001, तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभारी सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–603 / 134 / रा0यो0आ0 / 2019, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः 392 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 08/2019 दिनांक : 15 मई, 2019

कार्यालय–आदेश

सचिव, वित्त एवं नियोजन/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र **संख्या**–639/II–12/रा0यो0आ0/2010 टी0सी0, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 के क्रम में विभागीय नीति **नियोजन** के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करने हेतु विभाग के संयुक्त निदेशक, **श्री आशिष** कुमार त्रिपाठी (मो.नं.–7055007003, ई–मेल– infodirector.uk@gmail.com) को **नोडल** अधिकारी नामित किया जाता है।

श्री त्रिपाठी इस प्रयोजन के लिए नामित Resource Persons से समन्वय स्थापित कर उक्त **कार्य** सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

पत्रांकः 392 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 07/2019, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी, सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित अधिकारी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

केवल E-Mail

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः 408 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 02 / 2019 दिनांक : 17 मई, 2019

1. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी,
निकट संतुष्टि शंकर भवन,
तिकोनिया, हल्द्वानी,
नैनीताल।

2. समस्त जिला सूचना अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कृपया पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या–1060 / सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.)–31 / 2004, दिनांक 17 नवम्बर, 2018 तथा पत्र संख्या– 73 / सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.)–02 / 2019, दिनांक 21 जनवरी, 2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

मा. सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–243 / 2005, राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित मा. न्यायालय के आदेश, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भवनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा वेबसाइट को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया जाना है। अतः इस क्रम में आपसे निम्नांकित प्रारुप में आपके कार्यालय भवन में दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है :–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय की स्थिति (सरकारी(विभागीय नियंत्रणाधीन) / किराये का भवन)	दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधा (है / नहीं है / आवश्यकता नहीं)							अभ्युक्ति
			Lift	Ramp	Sign Board	Handrailing	Wheel Chair	Parking	Washroom (Disable Friendly)	

यदि Sign Board तथा Wheel Chair की व्यवस्था वर्तमान तक नहीं की गई है तो तत्काल उक्त व्यवस्थाऐं अपने स्तर से सुनिश्चित करते हुए शेष सुविधा हेतु यथा आवश्यकता सक्षम स्तर से तत्सम्बन्धित आंगणन के पश्चात बजट प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि कार्यालय भवन विभाग के अधीन न हो तो सम्बन्धित जिलाधिकारी से उक्त व्यवस्थाओं हेतु अनुरोध करना चाहें।

कृपया उपरोक्तानुसार वांछित सूचना तीन दिन के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17.5.19

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः 428 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 02 / 2019 दिनांक : 25 मई, 2019

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
सूचना,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय : "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा–42 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–179 / XXII / 2018–1(15) 2017, दिनांक 14 मई, 2019 का संदर्भ पूर्व में प्रेषित अपने पत्र संख्या–63 / XXII / 19–1(15) 2017, दिनांक 11 फरवरी, 2019 एवं पत्र संख्या–160 / XXII / 19–1(15) 2017, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 साथ लेने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आप द्वारा सचिव, समाज कल्याण, अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–203 / XVII-1 / 19–01(04) / वि.क. / 0017–टी.सी.1, दिनांक 09 मई, 2019 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए पत्र में की गई अपेक्षा के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा–42 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से समाज कल्याण विभाग एवं शासन को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि उक्त अधिनियम की धारा–42 के अनुपालन विषयक विचार–विमर्श हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ महानिदेशक, सूचना की अध्यक्षता में दिनांक 03 मई, 2018 को सूचना भवन में बैठक का आयोजन किया गया। जिसके कार्यवृत्त की छायाप्रति आपको पूर्व में विभागीय पत्र संख्या–381 / सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.) 02 / 2019, दिनांक 13 मई, 2019 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ के लिए उक्त कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः प्रेषित की जा रही है।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

पत्रांकः 428 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 02 / 2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः सचिव, समाज कल्याण, अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–203 / XVII-1 / 19–01(04) / वि.क. / 0017–टी.सी.I, दिनांक 09 मई, 2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24.5.19

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
74/1 राजपुर रोड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम परिसर, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135-2742223/फैक्स : 2742226

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)- 03/2000 दिनांक : 28 मई, 2019

कार्यालय-आदेश

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-747/XXV-02(P-2)/2018, दिनांक 28 फरवरी, 2019 के क्रम मे जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार सुश्री अर्चना का स्थानान्तरण सूचना मुख्यालय, देहरादून तथा श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक का स्थानान्तरण सूचना मुख्यालय, देहरादून से जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार किया गया था।

वर्तमान मे निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त शासकीय कार्यहित में जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार में कार्यरत/तैनात सहायक निदेशक, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का स्थानान्तरण सूचना मुख्यालय, देहरादून तथा सूचना मुख्यालय, देहरादून मे कार्यरत/तैनात सूचना अधिकारी, कु0 अर्चना का स्थानान्तरण जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

/

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

पत्रांकः 435 /सू.एवंलो.स.वि (प्रशा.)-03/2000, तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
5. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखाऐं, मुख्यालय।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारियों को।
8. सम्बन्धित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–10/2019 दिनांक : 20 जून, 2019

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के कनिष्ठ कैमरामैन पदधारकों की "अन्तिम ज्येष्ठता" निर्धारित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निहित प्रावधानुसार संबंधित कार्मिकों की पारस्परिक "अनन्तिम ज्येष्ठता सूची" उनके मध्य निम्नानुसार परिचालित की जा रही है:–

क्र.सं.	कनिष्ठ कैमरामैन का नाम	जन्मतिथि	कनिष्ठ कैमरामैन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01	श्री राकेश कुमार	29.09.1978	17.08.2015
02	श्री सुधीर कुमार	10.06.1978	23.10.2015
03	श्री विकास चौहान	05.08.1987	15.10.2018
04	कु. रूचि जुयाल	20.02.1984	15.10.2018

उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित अपनी स्थिति/स्थान के बारे में किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रत्यावेदन, संगत साक्ष्यों/अभिलेखों सहित, इस आदेश के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें। निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई प्रत्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि इस संबंध में किसी कार्मिक को कोई आपत्ति नहीं है और संबंधित कार्मिकों की ज्येष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित कर दी जायेगी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 531 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–10/2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागीय अधिकार, मुख्यालय।
2. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. नोटिस बोर्ड हेतु।
4. संबंधित कार्मिक।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

ई–मेल/फैक्स
महत्वपूर्ण/तत्काल

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971/फैक्स : 2662334

पत्रांक : 534 /सू.एवंलो.सं.वि. (प्रशा)– 02/2019 दिनांक : 22 जून, 2019

1. व्यवस्था शाखा, मुख्यालय।
2. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी,
   निकट संतुष्टि शंकर भवन,
   तिकोनिया, हल्द्वानी,नैनीताल।
3. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।

कृपया संयुक्त सचिव, सूचना उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 280/XXII/19–3(10)2016 दिनांक 13 जून, 2019 का संदर्भ सचिव, समाज कल्याण, अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 235/XVII-4/2019–12(वि.क.)/रिट/2016 दिनांक 11 जून, 2019 के साथ लेने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से विभागीय भवनों में दिव्यांगजनों हेतु सुगम्यता के मानक पूर्ण करते हुए वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध काराने की अपेक्षा की गई है । अतः इसक्रम में आपसे निम्नांकित प्रारूप में आपके कार्यालय भवन में दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की अघतन सूचना अपेक्षित है:–

S. no	Name of the Department	Name of the City	Name of the building	Facilities Accessible for Disabled (Yes/No)							अभ्युक्ति
				Lift	Ramp	Sign Board	Handrailing	Wheel chair	Parking	Washroom (Disable Friendly)	

कृपया उपरोक्तानुसार वांछित सूचना विलम्बतः दिनांक 24 जून, 2019 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्याः 534 (1)/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–02/2019, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्याः 280/XXII/19–3 (10)2016, दिनांक 13 जून, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2000 दिनांक 10 जून, 2019

कार्यालय–आदेश

कार्य आवंटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए **श्री दीपेन्द्र सिंह**, कैमरामैन को मीडिया सेन्टर, विधान सभा में तैनात किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्या 500 (1)/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2000, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **महानिदेशक** सूचना को सूचनार्थ।
2. **सहायक** निदेशक/प्रभारी, मीडिया सेन्टर, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. **सहायक** निदेशक/प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. **सम्बन्धित** कार्मिकों को।
5. **सम्बन्धित** कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।

10/6/19

(डा0 अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in   दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2000   दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय – आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) में तैनात कनिष्ठ सहायक, श्रीमती विदिशा नेगी का स्थानान्तरण उत्तराखण्ड राज्य, सूचना केन्द्र नई दिल्ली में किया जाता है।

श्रीमती विदिशा नेगी का स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया जा रहा है। अतः उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 548 (1)/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2000, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
4. कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
5. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संबंधित कर्मचारी को।
7. संबंधित की निजी पत्रावली हेतु।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in   दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः 563 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 26/2003   दिनांक : 29 जून, 2019

समस्त संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / वरिष्ठ वित्त अधिकारी
सहायक निदेशक / फोटो फिल्म अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त कार्मिक ,
मुख्यालय।

दिनांक 01 जुलाई, 2019 को नवनियुक्त महानिदेशक महोदय द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त तिथि को प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित रहते हुए अपने प्रभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों को व्यवस्थित रूप से रखना सुनिश्चित करें।

29.6.19.
(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दिनांक 01 जुलाई, 2019

पत्रांक: 567 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-17/2010

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय पर कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी पूर्व तैनाती से सम्बंधित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियों/प्रभागों के साथ सम्बद्ध/तैनात किया जाता है:-

क्र.सं.	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	तैनाती / सम्बद्धता / आवंटित कार्य
1.	श्री रईस अहमद, चपरासी	मीडिया सेंटर सचिवालय
2.	श्री बालम सिंह नगरकोटी, टेक्निकल सहायक	मीडिया सेंटर सचिवालय
3.	श्री प्रदीप पाल, पी.आर.डी.स्वयंसेवक	मीडिया सेंटर सचिवालय
4.	श्री बिशन दत्त जोशी, चपरासी	विधान सभा मीडिया सेंटर
5.	श्री प्रमोद पंत, टेक्निकल सहायक	विधान सभा मीडिया सेंटर
6.	श्री अभिषेक भारती, चपरासी	राजभवन सूचना परिसर
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	राजभवन सूचना परिसर
8.	श्री खेमकरण, टेक्निकल सहायक	इलैक्ट्रानिक मीडिया / सोशल मीडिया
9.	श्री रमेश चन्द्र लोहनी, टेक्निकल सहायक	सूचना का अधिकार सेल / प्रेस / गीत नाट्य प्रभाग
10.	श्री रामदयाल, चपरासी	विज्ञापन अनुश्रवण समिति
11.	श्री परवेजुल हसन, टेक्निकल सहायक	विज्ञापन प्रभाग
12	श्री गजेन्द्र सिंह नेगी, अनुसेवक	लेखा प्रभाग / प्रकाशन स्टोर
13	श्रीमती किरन देवी, टेक्निकल सहायक	स्वागत कक्ष
14.	श्री खजान दास, पी.आर.डी.स्वयंसेवक	निरीक्षा शाखा
15	श्री रामसिंह परजोली, अनुसेवक	महानिदेशक से सम्बद्ध
16	श्री मुन्ना लाल, अनुसेवक	निकासी शाखा
17	श्री विनोद प्रसाद लखेडा, पी.आर.डी.स्वयंसेवक	प्रशासन प्रभाग
18	श्री धर्मेन्द्र कुमार, अनुसेवक	अपर निदेशक एवं श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक
19	श्री बहादुर सिंह, टेक्निकल सहायक	फैक्स कार्य एवं अपर निदेशक, श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, श्री आशिष त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक (दोपहर 1:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
20	श्री हरीश राणाकोटी, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	श्री के.एस.चौहान, उप निदेशक, श्री नितिन उपध्याय, उप निदेशक एवं वरिष्ठ वित्त अधिकारी (दोपहर 1:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
21	श्री शांति सिंह, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, श्री के.एस. चौहान, उप निदेशक तथा श्री नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक
22	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, टेक्निकल सहायक	व्यवस्था शाखा, प्रकाशन प्रभाग
23	श्री लाल सिंह रौतेला, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	रात्रि चौकीदारी

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ.अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्या: (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-17/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
2. संबंधित अधिकारियों को।
3. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ.अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 570 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001 दिनांक 1 जुलाई, 2019

कार्यालय आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के नियम 12(डी) तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन संबंधी शासनादेश संख्याः 61 / XXVII(7)36 / 2017, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अपर निदेशक, डॉ. अनिल चन्दोला को कार्यालयाध्यक्ष नामित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है तथा सक्षम स्तर से कार्य एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ₹ 5,00,000 / –(₹ पाँच लाख) मात्र तक के भुगतान पारित करने के लिए भी डॉ. अनिल चन्दोला, अपर निदेशक को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 570 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
5. संबंधित अधिकारी।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662071 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 681 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–27 / 2011 दिनांक : 6 अगस्त, 2019

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ सहायक, लेवल–5, वेतनमान ₹ 29200–92300 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:–

1. श्री अनुज नैनवाल
2. श्रीमती सुषमा
3. श्री भरत सिंह रावत

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड मे कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3. उपरोक्त क्रमांक–01 एवं 03 पर अंकित कार्मिक क्रमशः श्री अनुज नैनवाल एवं श्री भरत सिंह रावत वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वरिष्ठ सहायक के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनका वेतन जिला सूचना कार्यालय, चमोली तथा जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर मे रिक्त सहायक लेखाकार के पद के विरूद्ध आहरित किया जायेगा।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 681 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–27 / 2011, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
5. समस्त विभागीय अधिकारी, मुख्यालय।
6. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
7. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. संबंधित कार्मिकों को।
9. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–43 / 2007 दिनांक : 21 अगस्त, 2019

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कनिष्ठ कैमरामैंनों को, नियमित चयनोपरान्त, फोटोग्राफर, लेवल–6, वेतनमान ₹ 35400–112400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:–

1. श्री राकेश कुमार
2. श्री सुधीर कुमार

2. उक्त कार्मिकों की पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को कनिष्ठ कैमरामैंन के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

ह.

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक, सूचना

संख्या 741 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–43 / 2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी, मुख्यालय।
4. उपनिदेशक / प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी।
5. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संबंधित कार्मिकों को।
7. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
8. विभागीय वेबसाइट हेतु।

21.8.19

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

पंजीकृत

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-07/2005 दिनांक: 03 सितम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या: 282 दिनांक 24.06.2019 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित श्री चन्द्र वल्लभ, (अनुक्रमांक-1201000072 श्रेणी सामान्य जाति) पुत्र श्री मित्रानन्द पन्त, निकट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मैन ब्रांच, गोपेश्वर, जनपद चमोली को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में फोटोग्राफर के पद, लेवल-6, ₹ 35400-112400 (पूर्व वेतन बैंड-1, वेतनमान ₹ 9,300-34,800, ग्रेड वेतन ₹ 4200) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है –

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी फोटोग्राफर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
   1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
   2. समस्त चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
   3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा-पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र।
   4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ-पत्र।
   5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
   6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।
   7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
   8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण-पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।
   9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
   10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

संबंधित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड सूचना भवन लाडपुर रिंग रोड देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उसे नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

<u>संख्या: 802 (1) सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून को उनके पत्र संख्या: 282 दिनांक 24.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित अभ्यर्थी को।
8. संबंधित अभ्यर्थी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

3/7

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दिनांक : 4 सितम्बर, 2019

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–05/2018

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर में कार्यरत वरिष्ठ सहायक, श्री भरत सिंह रावत को सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में तैनात किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्या 813 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

4/9/19

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

पंजीकृत/मेल

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135-2662971/फैक्स : 2662334

पत्रांक : 815 /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-22/2011 दिनांक : 5 सितम्बर, 2019

जिला सूचना अधिकारी,
पिथौरागढ़।

कृपया जिला सूचना कार्यालय पिथौरागढ में रिक्त संरक्षक-कम-डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने विषयक अपने पत्र संख्याः 274, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018, पत्र संख्याः 329 दिनांक 25 जनवरी, 2019 एवं पत्र संख्याः 10 दिनांक 20 अप्रैल, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस कम में अवगत कराना है कि सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 203/XXII (2)/19-01(08)/2018, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के द्वारा संरक्षक-कम-डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर बाह्य स्रोत (उपनल अथवा पी.आर.डी.) के माध्यम से कार्मिक की सेवाएं लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र की प्रति इस पत्र के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही है।

उक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि विभाग में नियमित नियुक्ति लोक सेवा अयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभागीय सेवा नियमावली मे निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं शासन के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित सुसंगत शासनादेशों के अनुसार संरक्षक-कम-डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा इस संबंध में कोई विपरीत आदेश/शासनादेश निर्गत होने की स्थिति में, जो भी पहले हो, उपरोक्तानुसार ली गयी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

कृपया तदनुसार आउटसोर्स (उपनल अथवा पी.आर.डी.) के माध्यम से कार्मिक की तैनाती करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नः यथोपरि।

5/9

(डॉ.अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः / सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)– 48 / 2004 दिनांक : ०१ सितम्बर, 2019

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर पदधारकों की "अन्तिम ज्येष्ठता" निर्धारित करने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमवाली, 2002' में निहित प्राविधानानुसार सम्बन्धित कार्मिकों की पारस्परिक "अनन्तिम ज्येष्ठता सूची" उनके मध्य निम्नानुसार परिचालित की जा रही है :–

क्र.सं.	संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर का नाम	जन्म तिथि	संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री रवीन्द्र सिंह	19.05.76	16.10.14
2.	श्री सुरेश कुमार	03.05.85	16.10.14
3.	श्री सुनील सिंह तोमर	08.04.87	21.10.14

उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची मे अंकित अपनी स्थिति / स्थान के बारे में यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रत्यावेदन, संगत साक्ष्यों / अभिलेखों सहित, इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें। निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई प्रत्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में किसी कार्मिक को कोई आपत्ति नहीं है और सम्बन्धित कार्मिकों की जयेष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित कर दी जायेगी।

ह.
(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

पत्रांकः 833 / सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)– 48 / 2004, तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त विभागीय अधिकारी (मुख्यालय)।
2. जिला सूचना अधिकारी, चमोली / उत्तरकाशी / टिहरी।
3. विभागीय वेबसाइट हेतु।
4. सम्बन्धित कार्मिकों को।
5. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।

5/9
(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 895 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 26 सितम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

कार्य आवंटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को संशोधित करते हुए विशेष कार्याधिकारी सूचना, श्री भगवान प्रसाद घिल्डियाल एवं श्री मलकेश्वर प्रसाद कलखुरी तथा अनुवादक, श्री दिनेश कुमार के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री भगवान प्रसाद घिल्डियाल, विशेष कार्याधिकारी	1. राज्य आपदा परिचालन केन्द्र से समन्वय कर प्रेसनोट जारी करने का कार्य। 2. मुख्य सचिव प्रचार यूनिट से संबंधित कार्य। 3. समय–समय पर सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठकों की कवरेज से संबंधित कार्य। 4. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2.	श्री मलकेश्वर प्रसाद कलखुरी विशेष कार्याधिकारी	1. मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट के प्रभारी/सहायक निदेशक, श्री रवि बिजारनियाँ से समन्वय कर मा. मुख्यमंत्री जी के प्रचार–प्रसार का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3.	श्री दिनेश कुमार अनुवादक/प्रभारी सूचना अधिकारी	1. मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट के प्रभारी/सहायक निदेशक, श्री रवि बिजारनियाँ के निर्देशानुसार हिन्दी के प्रेसनोटों का अंग्रेजी अनुवाद संबंधी कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या: 895 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री रवि बिजारनियाँ, सहायक निदेशक/प्रभारी, मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट, सचिवालय, देहरादून।
5. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
6. संबंधित अधिकारी।
7. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
8. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 951 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–75 / 2010(टी.सी.) दिनांक : 14 अक्टूबर, 2019

कार्यालय आदेश

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्याः 1981 / पी.आर.डी.–तैनाती / 2019–20, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के अनुक्रम में कु. सितारा पुत्र श्री मन्नु ग्राम थात कॉलोनी (सिगोटा) पो.ओ. लक्सार, खत फरटाड, तहसील कालसी, देहरादून को विभागीय निरीक्षा शाखा में संवीक्षक के पद के कार्य निष्पादन हेतु तेनात किया जाता है। इस संबध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संवीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा कोई विपरीत आदेश / शासनादेश निर्गत होने की स्थिति में, जो भी पहले हो, उपरोक्तानुसार आऊटसोर्स के माध्यम से ली गयी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्याः 951(1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–75 / 2010(टी.सी.) तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून।
2. प्रभारी, निरीक्षा शाखा, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून।
3. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, देहरादून।
4. कु0 सितारा, पुत्र श्री मन्नु ग्राम थात कॉलोनी (सिगोटा) पो.ओ. लक्सार, खत फरटाड, तहसील कालसी, देहरादून। हॉल निवास–तिलक रोड, देहरादून।
5. कार्यालय प्रति।

17.x.19
(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

Recieved
(कु. सितारा)

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971/फैक्स : 2662334

पत्रांक: 1203 /सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)– 48/2004 दिनांक : 18 दिसम्बर, 2019

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर पदधारकों की "अन्तिम ज्येष्ठता" निर्धारित करने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमवाली, 2002' में निहित प्राविधानानुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या–833/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)–48/2004, दिनांक 09 सितम्बर, 2019 के माध्यम से सम्बन्धित कार्मिकों के मध्य पारस्परिक "अनन्तिम ज्येष्ठता सूची" परिचालित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी।

उक्त के क्रम में निर्धारित समयावधि तक किसी भी कार्मिक से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः विभागीय संरक्षकों कम डाटा एण्ट्री आपरेटरों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नानुसार अन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर का नाम	जन्म तिथि	संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री रवीन्द्र सिंह	19.05.76	16.10.14
2.	श्री सुरेश कुमार	03.05.85	16.10.14
3.	श्री सुनील सिंह तोमर	08.04.87	21.10.14

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

पत्रांक: 1203 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)– 48/2004, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विभागीय अधिकारी (मुख्यालय)।
2. जिला सूचना अधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी/टिहरी।
3. विभागीय वेवसाइट हेतु।
4. सम्बन्धित कार्मिकों को।
5. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

पत्रांक संख्या-81 USDMA-706(2019)

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com,dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971/फैक्स : 2662334

पत्रांकः 121 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–26/2003 दिनांक 01 फरवरी, 2020

कार्यालय आदेश

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या: 81/USDMA-706(2019), दिनांक 23 जनवरी, 2020 के अनुक्रम में जन–जागरूकता अभियान हेतु Earthquake Resilient Construction विषय पर आधारित लघु डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाये जाने हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के संयुक्त निदेशक, श्री राजेश कुमार को नामित किया जाता है।

श्री राजेश कुमार संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. मेहरबान सिंह विष्ट)
महानिदेशक

संख्या: 121 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–26/2003, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून को उनके पत्र संख्या 81/USDMA-706(2019), दिनांक 23 जनवरी, 2020 के कम सूचनार्थ।
3. श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ. मेहरबान सिंह विष्ट)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com,dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

दिनांक 12 फरवरी, 2020

पत्रांकः / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–26 / 2003

कार्यालय आदेश

निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, देहरादून के पत्र संख्याः 1400 / E-21 / 2020, दिनांक 01 फरवरी, 2020 के कम में स्वजल परियोजना की सत्रहवीं अधिशासी समिति (Executive Committee) एवं पन्द्रहवी सामान्य प्रबन्धन समिति (15 General Body) की दिनांक 18 फरवरी, 2020 को 4:30 बजे आहूत बैठक में महानिदेशक के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करने हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक, श्री आशिष कुमार त्रिपाठी को नामित किया जाता है।

श्री त्रिपाठी उक्तानुसार यथा–समय उक्त बैठक में प्रतिभागर करना सुनिश्चित करेंगे।

(डा. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्याः 153 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–26 / 2003 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, आई.एस.बी.टी. देहरादून को उनके पत्र संख्याः 1400 / E-21 / 2020, दिनांक 01 फरवरी, 2020 के कम में सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित अधिकारी को।

12.2.2020

(डा. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक